



केन्द्रीय विद्यालय संगठन / KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी / REGIONAL OFFICE VARANASI

के०वि० डिरेका परिसर, कंचनपुर, वाराणसी-04/KV DLW Campus, Kanchanpur, Varanasi-04

दुरभाष/Tel : 91-542-2300825(DC), 2300824(AC), 2300819(AO/FO)

E-mail : kvsrovn@gmail.com / ro-varanasi@kvs.gov.in, Website : https://rovaranasi.kvs.gov.in

F.430230/PENSION-ADALAT/2020-21/KVS VNS/, 3381


DATED-22/12/2020

नोटिस पेंशन अदालत' 2020

Notice for Pension Adalat' 2020

के.वि.सं.(मु.) नई दिल्ली के प्रेषण संख्या F.110230 (Misc.) 2020-KVS(HQ)/P&I/19299, Dated-19/12/2020 (प्रति संलग्न) के अनुपालन में इस वाराणसी प्रक्षेत्र के पेंशनधारकों के परिवारों के निपटारे हेतु यह निर्णय अधुसुचित किया जाता है कि आगामी 29 से 31 दिसम्बर 2020 तक पेंशन अदालत का आयोजन डिजिटल तकनीक माध्यम से किया जायेगा/ उक्त निर्णय के आलोक में इस प्रक्षेत्र के पेंशनर्स अपना परिवाद, जिसमें उनका वैध इमेल आईडी एवं मोबाईल नम्बर का उल्लेख हो ताकि उनसे डिजिटली सम्पर्क किया जा सके, इस कार्यालय के इमेल आईडी forovns@gmail.com पर दिनांक-28/12/2020 तक प्रेषित कर सकते हैं/ उक्त इमेल से प्रेषित किये जाने वाले परिवाद हेतु विषय के रूप में "पेंशन अदालत'2020" अवश्य उल्लेख करें/

In compliance of KVS(HQ) communication no.- F.110230 (Misc.) 2020-KVS(HQ)/P&I/19299, Dated-19/12/2020 (copy enclosed) it is hereby decided and notified that Pension Adalat with a view to resolve the grievances being faced by the pensioners of this region will be conducted during 29 to 31st December 2020 through Digital Technology. In view of this decision, the pensioners of this region are hereby notified that they may raise the grievances being faced by them through email at forovns@gmail.com latest by 28/12/2020 mentioning therein their valid email ID and mobile number on which any communication in respect thereof may be sent or they may be contacted digitally to resolve their grievances. The grievance raised through email must contain the subject as "Pension Adalat'2020".


(डि० मणिवर्णन)
उपायुक्त

संलग्नक: यथाकथित उपरोक्त.

वितरण:

1. संयुक्त आयुक्त (वित्त), के.वि.सं. (मु.) नई दिल्ली को उनके पत्रांक F.110230 (Misc.) 2020-KVS(HQ)/P&I/19299, Dated-18/12/2020 के सन्दर्भ में प्रेषित/.
2. सूचना पट्ट, क्षे.का. वाराणसी एवं सभी के.वि.द्यालय वाराणसी प्रक्षेत्र.
3. उपायुक्त के आशुलिपिक इस अनुरोध के साथ कि इसे क्षे.का. के अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड करें/.
4. प्राचार्य सभी के.वि. वाराणसी प्रक्षेत्र इस अनुरोध के साथ कि इसे मुख्यालय के पत्र सहित अपने विद्यालय के वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करें एवं विद्यालय से सम्बन्धित रहे सभी पेंशनर्स हेतु इसे डिजिटली प्रसारित करें/



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, संस्थागत क्षेत्र/18, Institutional Area,
शहीदजीतसिंहमार्ग/Saheed Jeet Singh Marg
नई दिल्ली-110016/ New Delhi-110016.
फोन नं./Phone no. : 26858570,
वेबसाइट/Website: www.kvsangathan.nic.in
E- mail:- pensionkvshq@gmail.com

फ. 110230(विविध)/2020-केविस(मु.)/पं./19298

दिनांक. 18.12.2020


नोटिस

विषय: माह दिसंबर 2020 में राष्ट्रीय स्तर पर पेंशन अदालत आयोजित करने के संबंध में।

शिक्षा मंत्रालय के दिनांक 23.10.2020 के पत्र सं० फा० 8-11/2020-E.E.1 के साथ पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग का दिनांक 21.10.2020 का अर्द्धसरकारी पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसमें पेंशनभोगियों की शिकायतों का निर्धारित नीति व दिशा-निर्देशों के अनुसार तुरंत निपटान करने के लिए माह दिसंबर 2020 में राष्ट्रीय स्तर पर पेंशन अदालत वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से आयोजित करने के निर्देश दिये गए हैं।

इस संबंध में के०वि०सं० के सभी पेंशनभोगियों, जिनके PPO केविस मुख्यालय द्वारा जारी किए गए हों, से अनुरोध है कि यदि इस संबंध में उनकी कोई शिकायत हो तो 23 दिसंबर 2020 तक ई-मेल आईडी pensionadalkvshq@gmail.com पर भेज सकते हैं। आवेदन में अपना नाम, पीपीओ संख्या, ईमेल आईडी एवं फोन/मोबाइल नंबर अवश्य अंकित करें। प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए माह दिसंबर 2020 के अंतिम सप्ताह में इस कार्यालय द्वारा डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी।

नोट:- जिन पेंशनभोगियों की पेंशन क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर संस्वीकृत की गई है, उनसे अनुरोध है कि वे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ही अपने आवेदन भेजें। सभी क्षेत्रीय कार्यालय इस संबंध में पेंशन अदालत का आयोजन दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में करेंगे।


(सत्य नारायण गुप्तिया)
संयुक्त आयुक्त (वित्त)